

राजकीय कन्या महाविद्यालय, किशनपोल, जयपुर

आवश्यक सूचना

07/10/23


महाविद्यालय की समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन शशि योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संवल योजना एवं बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना में छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन आमन्त्रण हेतु दिनांक 04/10/23 से पोर्टल पुनः खोला गया है।

पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि

1. देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन शशि योजना (द्वितीय राउंड हेतु)
छात्रवृत्ति का नाम
31.10.2023
2. कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (द्वितीय राउंड हेतु)
(EBC, Minority, ST, SC etc.)
31.10.2023
3. बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना
31.12.2023
4. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना
31.12.2023
5. विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संवल योजना
31.12.2023

* योजना से संबंधित नियम, दिशा निर्देश विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। संबंधित दिशा-निर्देश, परिपत्र क्रमांक - 955, दिनांक 30.12.2021, आवेदन से पूर्व भली-भाँति अध्ययन कर लें।

* जन-आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें गरीबी सहायता सूचनाएँ जैसे जाति, मूल-निवास, Bank details etc update होनी चाहिए।


प्रभारी (डॉ. शेमा खान)


(प्रचारक)

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

डी. मा. र. ५५५

दिनांक - 03.10.2023

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2023-24/7443

समस्त रजिस्ट्रार/प्राचार्य,
विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय,
राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजनांतर्गत द्वितीय राउंड हेतु तथा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना एवं बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना में छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल पुनः खोलने बाबत।

संदर्भ- विज्ञप्ति क्रमांक-6611 दिनांक- 30.06.2023, 6849 दिनांक-31-07-2023 तथा 6934 दिनांक-08-08-2023

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री(बी.एड.) संबल योजना एवं बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना में छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन हेतु दिनांक 01.07.2023 से 16.08.2023 तक पोर्टल खोला गया था। छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रण हेतु दिनांक-04.10.2023 से पोर्टल पुनः खोला जाता है। जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्र. स.	छात्रवृत्ति/स्कूटी का नाम	वर्ष	पोर्टल पुनः प्रारम्भ की तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1.	देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना (द्वितीय राउंड हेतु)	2023-24	04.10.2023	31.10.2023
2.	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना : (द्वितीय राउंड हेतु) 1. सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग) 2. अल्प संख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (अल्प संख्यक मामलात विभाग) 3. अनुसूचित जनजाति (S'I) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 4. अनुसूचित जनजाति (S'I) की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 5. विगुक्त, घुगन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)	2023-24	04.10.2023	31.10.2023
3.	बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना	2023-24	04.10.2023	31.12.2023
4.	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	2023-24	04.10.2023	31.12.2023
5.	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना	2023-24	04.10.2023	31.12.2023

योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट <https://htc.rajasthan.gov.in/> के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्रा /अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश, परिपत्र क्रमांक-955 दिनांक-30.12.2021, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की मंती भौति अध्ययन कर ही आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल-निवास, बैंक डिटेल् आदि अपडेट होनी चाहिए।

ऑनलाईन आवेदन विभाग की वेबसाइट <https://htc.rajasthan.gov.in/> द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CETAD,Minority)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।

जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है। वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की होगी।

3/10/2023

संयुक्त निदेशक

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर